HISAR METAL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off & Works: Near Industrial Development Colony, Hisar-125005 (HRY)
Phone: 01662-220067,220367,220738 Fax 01662-220265
Email :info@hisarmetal.com, Web www.hisarmetal.com
CIN No: L74899HR1990PLC030937

July 14, 2020

Corporate Relationship Department
Bombay Stock Exchange
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai - 400 001
Scrip Code: 590018
(Category: Permitted for Trade)

Corporate Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C-1, G Block
Bandra Kurla Complex, Bandra East
Mumbai – 400051
Scrip Code: HISARMETAL

Sub: Newspaper Publication for Transfer of Equity Shares of the Company to the Demat Account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

Dear Sir / Madam

In terms of provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016; as amended from time to time ("the Rules"), the Company is required to transfer all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for period of seven consecutive years to the Demat account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority in the manner as prescribed under the Rules.

We hereby enclose copies of the Notice to Shareholders published in "The Financial Express" (English-Newspaper) and "Jansatta" (Hindi-Newspaper) on 14/07/2020.

This is for your kind information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,
For **Hisar Metal Industries Limited**

HISAR METAL IND. LTD. HISAR

(Vishesh Kumar Chugh)
GM(Finance) & Company Secretary

An initiative by R E D

10092

76

e Companies Act,
5th June 2020 and
rcular No. 17/2020
ril 2020 issued by
nge Board of India
2020.
Affairs (MCA), has
l Meeting through
nd send financial
nts required to be
nly through e-mails
tory. Further, SEBI
2, 2020 has also
the Members. The
nexures including
of the company
bseindia.com and
tements (including
hed therewith) and
rs.
addresses with the
unications promptly
ords will help us to
mes.
eir email addresses
ollowing the below
., PAN, Mobile No.,
alid Passport/Share

in Demat Form and
er the same with the
Private Limited, by
html and follow the
r may send an email
.in. It is clarified that
our Demat account,
pant ('DP') and follow

f the Company in
esses and/or Bank
y's Registrar and
by clicking on the
ow the registration
d an email to M/s Link
r, we hereby request
etails to kindly update
when declared, going
, kindly contact your
M/s Link Intime India

any are requested to

as Marg,

@sheelafoam.com
3875,
2 6876

Sheela Foam Limited
Sd/-
Md Iquebal Ahmad
Compliance Officer

The Executive Engineer, Tengnoupal Division, PWD, Manipur, on behalf of the Governor of Manipur, invites item rate tender through open tender from approved and eligible contractors of PWD, Manipur for 15 (Fifteen) nos. of works at a total cost of ₹ **9,37,28,710.00**, each work costing less than 1 (One) crore, within Tengnoupal Division PWD, Manipur,

The procurement officer is Executive Engineer, Tengnoupal Division, PWD, Manipur. The tender details and documents shall be available from 20.07.2020 to 29.07.2020, during office hours at the office of the Executive Engineer, Tengnoupal Division, PWD, Manipur.

Last date & time of receipt of application for purchase Tender form	: **4:00 p.m. of 29.07.2020.**
Last date & time of issue of Tender form	: **4:00 p.m. of 29.07.2020.**
Tender submission period	: **11:00 a.m. of 28.07.2020. to 4:00 p.m. of 29-07-2020.**
Date of opening of Tender	: **11:00 a.m. of 30.07.2020.**
Venue of opening of Tender	: **Office of the Executive Engineer, Tengnoupal Division, PWD Complex Khuyathong, Imphal-West, Manipur.**

Executive Engineer,
Tengnoupal Division, PWD, Manipur.

---

the amount within 60 days from the date of receipt of said notice.
The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby
that the undersigned has taken possession of the property d
conferred on him under Sub section (4) of the section 13 of
(Enforcement) Rules, 2002 on the dates mentioned against the ac
The borrower in particular and the public in general is hereby ca
dealings with the property will be subject to the charge of the Bank
The borrower's attention is invited to provisions of sub-sect time available, to redeem the secured assets.

Name of the Account/ Borrower & Guarantor	Description of the Immovable Property
Mr. Mahesh Gupta S/o Mr. Bindeshwari Gupta and Mrs. Seema Gupta W/o Mr. Mahesh Gupta, both R/o House No. 1872, Near NIMS Hospital, Sector-23, Faridabad 121005	House No. 1872, Sector 23 (Part) Tehsil Gaunchi, District Faridabad 121 005, Mr. Mahesh Gupta S/o Mr. B W/o Mr. Mahesh Gupta. Boun North: House No. 1873, South

Date: 13.07.2020 **Place: Faridabad**

HISAR METAL INDUSTRIES LIMITED

Registered Office & Works: Near Industrial Development Colony, Hisar-125005 (HRY)
Phone: 01662-220067,220367,220738 Fax 01662-220265
Email :info@hisarmetal.com,vchugh@hisarmetal.com Web www.hisarmetal.com
CIN No: L74899HR1990PLC030937

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Transfer of Equity Shares of the Company to the Demat Account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

In terms of provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016; as amended from time to time ("the Rules"), the Company is required to transfer all shares, in respect of which dividend has not been paid or claimed for period of seven consecutive years, to the Demat account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority in the manner as prescribed under the Rules.

In compliance with the said Rules, the Company is communicating individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to the Demat account of IEPF Authority. The Company is also uploading on its website www.hisarmetal.com, the details of such shareholders whose shares are liable to be transferred to the Demat Account of IEPF Authority. The Shareholders may please note that the Company shall transfer the concerned shares held by them in physical or demat form to the Demat account of IEPF Authority within a period of 30 days from 30th October 2020 being the due date as prescribed under the said Rules.

The shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer to the Demat account of IEPF Authority and upon such issue of duplicate share certificate(s), the original share certificate(s) which stands registered in their name will stand automatically cancelled and non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of duplicate share certificate(s) issued by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority as prescribed under the said Rules. Further the shareholders holding shares in Demat form and whose shares are liable to be transferred, may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action where the concerned shareholders have their accounts for transfer of such shares to the Demat account of IEPF Authority.

The concerned Shareholders are hereby requested to claim the dividend declared during the Financial Year 2012-13 and onwards and which remains unclaimed or unpaid by making an application to our RTA or Company, failing which their Shares shall be transferred to the IEPF.

The Shareholders may please note that both, the unclaimed dividend amount transferred to IEPF and the shares transferred to the Demat account of IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from the IEPF Authority after following procedure prescribed under the said Rules. For any information/clarification on this matter, please write to or contact the Company at info@hisarmetal.com, vchugh@hisarmetal.com or our RTA SKYLINE FINANCIAL SERVICES PVT LTD at D-153/A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi - 110020, Phone:011-64732681-88, Email: admin@skylinerta.com

For Hisar Metal Industries Limited
Sd/-
(Vishesh Kumar Chugh)
Company Secretary & Compliance Officer

Place : HISAR
Date : 13th July 2020

सेन्ट्रल
Centra
1911 से आपके लिए "के

BRANCH OFFICE
POSSESSION N
Append

Whereas, the undersig
CENTRAL BANK OF
under the Securitizat
Assets and Enforcem
(54 of 2002) and in exer
13(12) read with Rule 9
Rules 2002, issued a D
upon the **Borrowers:** M
MRS. TAMANNA W/
mentioned in notice
Eighteen Lakh Ninety
Six and Paise Sixty
receipt of the said notic
the amount, notice is h
public in general that th
the property described
conferred on him under
rule 9 of the said rules o
in particular and the pub
deal with the property a
subject to the charge of
Delhi Branch for an a
Eighteen Lakh Ninety
Six and Paise Sixty On
The Borrower's attent
section (8) of Section
available, to redeem th
DESCRIPTION
All that part and parc
(Without Roof Right) G
Delhi-110094. **Bounde**
North: Other's Property
South: Other's Property
East: Road
West: Other's Property
PLACE: DELHI
DATE: 09.07.2020

---

efforts on this special day.
Ladies and gentlemen,
This crisis has paved the way for
countries in order to prepare for w

e were valued
ng this period.
nce decreased

FDI inflows into India. The highest FDI equity inflows are in the services sector (17.46%), with cement & gypsum products (13.69%) in the second place, followed by automobile industry (5.50%),

थम ही नहीं रहा कोरोना 30 और आए चपेट में

जनसत्ता टीम
शिमला/धर्मशाला, 13 जुलाई।

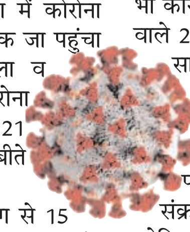

प्रदेश में आज सोमवार को भी कोरोना संक्रमितों की तादाद जारी रही। आज प्रदेश में कोविड के 30 नए मामले सामने आए। इनमें से 21 सोलन, कांगड़ा से तीन, हमीरपुर से चार और मंडी व शिमला से एक-एक मामला शामिल है। इस तरह प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मरीजों का आंकड़ा 1243 तक जा पहुंचा है। जिला सोलन के बद्दी-बरोटीवाला व नालागढ़ इलाके में आज फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां से एक साथ 21 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए है। बीते रोज सोलन से दस नए मामले आए थे।

जिला सोलन के बद्दी के एक उद्योग से 15 कामगार संक्रिमत पाए गए है। इसके अलावा बददी के वार्ड नंबर आठ बिलावली से दो और नालागढ़ की आदर्श कालोनी से चार नए मामले सामने आए हैं। जिला सोलन में कोरोना संक्रमण मरीजों का आंकड़ा 200 के पार चला गया है। वहीं, कांगड़ा जिले में सोमवार को पिता-पुत्र के अलावा तीन व्यक्ति कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। कांगड़ा के जिलाधीश राकेश प्रजापति के मुताबिक इनमें 9 जुलाई को नोएडा से लौटे जयसिंहपुर इलाके का निवासी 53 साल का एक व्यक्ति और 21 बरस के उसके बेटे के अलावा इसी क्षेत्र में 6 जुलाई से दिल्ली से वापसी करने के बाद 32 वर्षीय युवक समेत ये तीनों आलमपुर में संस्थागत संगरोध में थे। इनकी रिपोर्ट पॉजीटिव आने के बाद तीनों को कोविड केंद्र बैजनाथ तब्दील किया गया है। इन तीन मामलों के साथ कांगड़ा जिले में पीड़ितों की कुल संख्या 312 हो गई है।

ऊना जिले के हरोली उपमंडल के तहत गोंदपुर जयचंद स्थित एक उद्योग में कार्यरत दो प्रवासी श्रमिक भी कोरोना पीड़ित पाए गए हैं। बिहार के चंपारण रहने वाले 23 और 21 साल के यह दोनों युवक 23 अन्य साथियों के साथ कंपनी की बस से गोंदपुर जयचंद में पहुंचने के बाद कंपनी के रिहायशी कमरों में संगरोध थे। इससे पहले रविवार को भी इस कारखाने का एक प्रवासी युवक पीड़ित पाया गया था। सोमवार की मिली रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद दोनों को खड्ड स्थित कोविड अस्पताल में भेज दिया गया।

हमीरपुर में चार नए संक्रमित

हमीरपुर: जिले में सोमवार शाम को कोरोना संक्रमण के चार मामले सामने आए हैं। गांव गलोड़ खास का 37 वर्षीय व्यक्ति पॉजीटिव पाया गया है। वह पांच जुलाई को कुवैत से लौटा था। नादौन के भरमोटी के गांव गगल के 39 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट भी पॉजीटिव आई है। भोरंज के गांव बगवार डाकघर धमरोल का 68 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। बड़सर के गांव मतरयाणा की 51 वर्षीय महिला पॉजीटिव पाई गई है।

कांग्रेस का सचिवालय के बाहर जमकर प्रदर्शन

सैलानियों के लिए दरवाजे खोलने पर सरकार को लिया आड़े हाथ

शिमला, 13 जुलाई (जनसत्ता)।

कोरोना महामारी के चरम के दौर में प्रदेश के दरवाजे सैलानियों को खोलने के जय राम सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस शहरी के कमान में कांग्रेस कार्यकताओं ने सोमवार को सचिवालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की।

इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने जय राम सरकार को आगाह किया कि कोरोना महामारी के दौरान बतौर विपक्ष कांग्रेस पार्टी ने सरकार के फैसले का समर्थन किया लेकिन अब ये जनविरोधी फैसला लेकर प्रदेश में कोरोना महामारी को बढ़ाने का काम किया है। सरकार ने बिना तैयारी के बाहर से आ रहे हिमाचलियों को आने की मंजूरी दी। दो लाख के करीब लोग हिमाचल में पहुंच गए लेकिन कोरोना मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई । इसके बाद प्रदेश की दरवाले सैलानियों को खेल दिया है जबकि प्रदेश में इतने ज्यादा लोगों को संभालने के लिए आधारभूत ढांचा तक नहीं है।

राठौर ने कहा कह जब तक प्रदेश की सीमाओं पर कोविड -19 की जांच का आधारभूत ढांचा विकसित नहीं किया जाता तब तक इस फैसले का टाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस फैसले से प्रदेश के लोगों में कोविड -19 को लेकर डर और भय फैलता जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश में पर्यटन एवं अन्य व्यवसाय के विरोधी नहीं है पर अभी इस माहमारी के प्रति पूरी तरह सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए सरकार को इस फैसले पर जनहित में पुनर्विचार करना चाहिए।

राठौर ने कहा कि प्रदेश में होटल व्यवसायी व अन्य कारोबारी तक इसके पक्ष में नही है,ऐसे में यह फैसला तब तक टाल दिया जाना चाहिए जब तक की देश मे इस माहमारी का प्रकोप खत्म नहीं हो जाता। एक समय था जब प्रदेश में एक भी कोविड संक्रमित नही था जो अब 1150 के आसपास पहुंच गया है। अब तक इस माहमारी से 9 लोगों की जान भी जा चुकी है। प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों की सही ढंग से स्वास्थ्य जांच न होना इसके फैलाव का मुख्य कारण रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोविड-19 के सभी सुरक्षा मानकों का सही ढंग से सीमाओं पर पालन किया जाता तो आज प्रदेश इस गंभीर समस्या से बच सकता था।

उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश को कोरोना डेस्टिनेशन नहीं बनने दिया जाएगा। बाद में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को इस संदर्भ में पार्टी की चिंताओं का एक ज्ञापन जिलाधीश अमित कश्यप के माध्यम से दिया। इसमें मांग की गई है कि हाल ही कि मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गय सभी जनविरोधी फैसलों को वापस लिया जाए।

बस किरायों में वृद्धि का प्रस्ताव रद्द करें: राठौर

इस मौके पर राठौर ने बस किराए में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को को रदद करने की मांग की व एलान किया कि अगर सरकार ने इस तरह का कोई जनविरोधी फैसला लिया तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर जाएगी। उन्होंने बिजली बिलों में 125 यूनिट्स के ऊपर की गई बढ़ोतरी को वापस लेने, राशन की सब्सिडी से बाहर किये गए एपीएल परिवारों को दोबारा शामिल करने, कर्मचारी व पेंशन विरोधी फैसलों को रदद करने की मांग की। प्रदर्शन में राठौर के अलावा पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी समेत दर्जनों नेताओं व कार्यकताओं ने इस धरने प्रर्शन में शिरकत की है। याद रहे अभी तक कांग्रेस पार्टी व उसके अग्रणी संगठन कांग्रेस के मुख्यालय के बासहर की धरने प्रदर्शन करते रहे है। इसे लेकर पार्टी का मजाक उड़ाया जा रहा था। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल कर अब आज सचिवालय के रूख किया है।

जय राम ने कांग्रेस पर उठाए सवाल

शिमला: मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राजधानी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी को कोरोना महामारी के दौरान बाहरी राज्यों में फंसे हिमाचली बच्चों व भाइयों के प्रदेश में लौटने के विरोध की सजा भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या इन सवा दो लाख लोगों को बाहरी राज्यों में मरने के लिए छोड़ दिया जाता। ये कांग्रेस के खिलाफ मुददा बनने वाला है। सरकार ने इन लोगों की संकट के समय मदद की है। ये सरकार का नैतिक कर्तव्य था। उन्होंने सैलानियों के लिए प्रदेश के दरवाजे खोलने पर कांग्रेस के विरोध को दरकिनार करते हुए कहा कि उन्हें राजस्थान का ध्यान रखना चाहिए था। राजस्थान ने अपने प्रदेश के दरवाजे सैलानियों के लिए हिमाचल से पहले खोल दिए है। हिमाचल पूरे देश में ऐसा पहला राज्य है जिसने दरवाजे तो खोले लेकिन कड़ी शर्तों के साथ। अभी तक पर्यटन के क्षेत्र से एक भी मामला पाजिटिव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पर्यटन का व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बाकी सभी व्यवसाय खोल दिए गए है। ऐसे में पर्यटन को भी बंद नहीं रखा जा सकता।

हिसार मेटल इंड़स्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यः नियर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉलोनी, हिसार-125005 (हरियाणा)
फोनः 01662-220067, 220367, 220738, फैक्सः 01662-220265
ई-मेलः info@hisarmetal.com, vchugh@hisarmetal.com, वेबः www.hisarmetal.com
सीआईएन नo. L74899HR1990PLC030937

शेयरधारकों के लिए सूचना

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण के डिमेट खाते में कंपनी के इक्विटी शेयरों का अंतरण

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016; समय-समय पर यथासंशोधित ("नियम") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(6) के प्रावधानों के संदर्भ में, कंपनी को नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) प्राधिकरण के डिमेट खाते में उन सभी शेयरों का अंतरण करना अनिवार्य है जिन पर निरतर सात वर्षों की अवधि से लाभांश का भुगतान नहीं लिया गया है या भुगतान का दावा नहीं किया गया है।

कथित नियमों के अनुपालन में, कंपनी उन संबंधित शेयरधारकों से व्यक्तिगत रूप से पत्राचार कर रही है जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं। कंपनी के अपनी वेबसाइट www.hisarmetal.com पर ऐसे सभी शेयरधारकों के विवरण अपलोड किये जा रहे हैं जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं। शेयरधारक कृपया नोट करें कि कंपनी नियमों के निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर नियत तिथि अर्थात 30 अक्टूबर, 2020 से 30 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित शेयरों चाहे वह भौतिक प्रारूप में हो या डिमेट प्रारूप में, आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरित कर देगी।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक जिनके शेयर अंतरित किये जाने हैं, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरण के प्रयोजन हेतु उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के स्थान पर डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) को जारी करेगी और डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) जारी होने के बाद मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) जो उनके नाम पंजीकृत हैं, स्वतः ही निरस्त एवं गैर-विनिमेय हो जाएंगे। शेयरधारक कृपया नोट करें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किये गए विवरणों को ध्यान में रखा जाए और नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के संबंध में पर्याप्त सूचना माना जाए। डिमेट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक जिनके शेयर अंतरित किये जाने हैं, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में ऐसे शेयरों के अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्य के माध्यम से उन डिपॉजिटरी को सूचित करेगी जहां संबंधित शेयरधारकों का अपना खाता है।

संबंधित शेयरधारकों से एतद्द्वारा हमारे आरटीए या कंपनी के पास आवेदन करके वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान घोषित लाभांश और उसके बाद और जो अदावाकृत व अप्रदत्त रहता है का दावा करने के लिए अनुरोध किया जाता है और ऐसा नहीं करने पर उनके शेयर आईईपीएफ को अंतरित कर दिये जाएंगे।

शेयरधारकों कृपया नोट करें कि आईईपीएफ को अंतरित की गई अदावाकृत लाभांश राशि और आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरित किये गए शेयरों और ऐसे शेयरों पर उपार्जित सभी लाभ, यदि कोई हो, को वापिस पाने के लिए नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर आईईपीएफ प्राधिकरण के पास अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इस विषय पर किसी भी जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए कृपया कंपनी को info@hisarmetal.com, vchugh@hisarmetal.com पर लिखे अथवा आरटीए स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि., डी-153/ए, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020, फोनः 011-64732681-88, ई-मेलः admin@skylinerta.com से सम्पर्क करें।

कृते हिसार मेटल इंड़स्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता/-
(विशेष कुमार चुघ)
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

स्थान : हिसार
दिनांकः 13 जुलाई 2020

कोरोना से बचाव ही सुरक्षा का एकमात्र उपायः खली

पांवटा साहिब, 13 जुलाई (जनसत्ता)।

'जब कोरोना महामारी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को अपनी चपेट में ले सकती है तो हम क्या चीज हैं।' यह कहना है रेसलिंग की दुनिया में विदेशी धरती पर देश का नाम रोशन करने वाले ग्रेट खली का। पांवटा साहिब स्थित गुरु गोबिंद सिंह के गुरुद्वारे में शीश निवाने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही।

उन्होंने कहा कि यह ऐसी महामारी है जो पद और रूतबे को देखकर नहीं बल्कि एक दूसरे के संपर्क में आने से और कोरोना से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा खुले में घूमने एवं एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण लगती है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जरूरी है कि लोगों को भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए और साथ ही मास्क भी लगाना चाहिए।

खली ने कहा कि लोगों को अनावश्यक तौर पर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और हाथों को साफ सुथरा रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रदेश में कोरोना अपने पैर पसार रहा है वह एक चिंता का विषय है। हालांकि सरकार इसके लिए पूरी सजगता से प्रयास कर रही है और उसने सराहनीय प्रयास भी किए हैं।

उन्होंने कहा कि जब तक स्वास्थ्य विभाग व्यक्ति में कोरोना बीमारी की पुष्टि न कर दे तब तक कोई भी दवा बिना जरूरत न लें।

नहाते समय टोंस नदी में बहे शिलाई भाजपा मंडल उपाध्यक्ष

पांवटा साहिबः बीते रोज शिलाई उपमंडल में बहने वाली टोंस नदी के समीप नहाते हुए शिलाई भाजपा मंडल उपाध्यक्ष डूब गए। एक दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक इस युवा नेता का कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर बाद करीब 4 बजे शिलाई के प्रसिद्ध व्यापारी एवं भाजपा नेता महेंद्र सिंह नेगी अपने दोस्तों के साथ टोंस नदी में नहाने उतरे थे।

शीघ्र शुरू होगा थाना प्लोन हाइडल परियोजना का कामः रामस्वरूप

कहा, मंत्रालय से मिली हरी झंडी

मंडी, 13 जुलाई (जनसत्ता)।

मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के व्यक्तिगत प्रयासों से 2500 करोड़ की लागत से बनने वाले 191 मैगावाट थाना प्लोन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना का निमार्ण कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए बकायदा पर्यावरण मंत्रालय से भी हरी झंडी मिल गई है।

शर्मा ने कहा कि परियोजना की डीपीआर का कार्य भी अंतिम चरण में है। डीपीआर स्वीकृत होते ही भूमि अधिग्रहण का कार्य शीघ्र आरम्भ कर दिया जाएगा। परियोजना के निर्माण के लिए 405 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी । एफसीए के लिए डीएफओ जोगिनद्रनगर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। एफसीए के लिए भी सभी औपचारिकताएं अंतिम चरण में हैं।

उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए बांध ब्यास नदी पर बनेगा जिसकी उंचाई 107 मीटर होगी। पावर हाउस बांध से 200 मीटर की दूरी पर बनेगा। उन्होंने साफ किया कि इस परियोजना निर्माण की मुख्य बात है कि इससे क्षेत्र के लोगों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। परियोजना निमार्ण से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। निमार्ण कार्य के लिए एनएचपीसी व एसजेवीएनएल से बात चल रही है। सांसद ने बताया कि परियोजना के निर्माण कार्य को गति प्रदान करने के लिए थाना प्लोन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना के महाप्रबंधक अजय बिष्ट से भी विस्तार से चर्चा कर और उन्हें इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने पर बल दिया।

रिवालसर कॉलेज में 31 जुलाई तक चलेगी प्रवेश प्रक्रिया

मंडीः राजकीय महाविद्यालय रिवालसर का शैक्षणिक 2021 सोमवार से शुरू हो गया। यह जानकारी देते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डा. रोशन लाल ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया 13 जुलाई से शुरू हो चुकी है और यह 31 जुलाई तक चलेगी। महाविद्यालय में कला, वााणिज्य संकायों में स्नातक स्तर की षिक्षा प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि एक बैठक करके महाविद्यालय प्रबंधन ने यह निर्णय लिया कि ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों माध्यमों से ही प्रथम वर्श के छात्र प्रवेश ले सकते हैं।

फॉर्म आईएनसी-26
केन्द्रीय सरकार के समक्ष क्षेत्रिय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा 4 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
ज़िप एंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
CIN: U74900CH2010PTC032059
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : एससीओ 1034-35, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 22, अपोजिट बस स्टैन्ड, चण्डीगढ़-160022 मे स्थित है
.....याचिकाकर्ता

सूचना

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **"केंद्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़"** से **"पंजाब राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए तारीख **02 जुलाई, 2019** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संघम ज्ञापन मे संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** में शिकयत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा

ज़िप एंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : एससीओ 1034-35, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 22, अपोजिट बस स्टैन्ड, चण्डीगढ़-160022

आवेदक की ओर से
ज़िप एंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/-
(दीपिंदर सिंह सिविया)
निदेशक
डीआईएन : 03484245
44, सिविया, बठिंडा-151001, पंजाब, इंडिया

तिथि : 12.07.2020
स्थान : चण्डीगढ़

गैरकानूनी खनन पर ऊना पुलिस की कार्रवाई, पोकलेन मशीन जब्त

धर्मशाला, 13 जुलाई (जनसत्ता)।

ऊना पुलिस ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हरोली में अवैध खनन करते हुए एक पोकलन मशीन को काबू किया है। इस दौरान मशीन चालक मौके से फरार होने में कामयाब हो गया।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक खुफिया इत्तेलाह मिलने के बाद टाहलीवाल चौकी प्रभारी अशोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस का एक दल पंजाब-हिमाचल की सरहद पर स्वां दरिया में पहुंचा। वहां पर उसने पाया कि पोकलेन मशीन निडर होकर गैर कानूनी तौर पर रेत खनन को अंजाम दे रही थी। पुलिस को देखते ही चालक मौके से भाग गया।

थाना प्रभारी मनोज कौंडल ने बताया कि खनन और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पोकलेन को जब्त कर उसे पुलिस लाइन झलेड़ा पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले के बाद ताकतवर माफिया के कुछ लोग पुलिस पर दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं मगर लोगों के सहयोग से स्वां नदी में अवैध खनन के कारोबारियों और नशा तस्करों के खिलाफ आगे भी इस तरह के अभियान को पुलिस जारी रखेगी।

हादसे में युवक की मौत

धर्मशालाः ऊना जिले के धुंधला में ट्रक के साथ टक्कर में सोमवार को एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। मृतक युवक की शिनाख्त बंगाणा उपमंडल के घुघन गांव के निवासी लखविंद्र सिंह के रूप में हुई है। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनोद धीमान के मुताबिक यह हादसा रसोई गैस सिलेंडर्स से भरा ट्रक बंगाणा के धुंदला जा रहा था कि उसी दौरान आमने-सामने की भिड़ंत में बाइक सवार लखविंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। उनने कहा कि मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक रजत राणा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्ट्म के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

आरोपी से सांठगांठ के आरोप में एएसआइ गिरफ्तार

कुल्लू, 13 जुलाई (जनसत्ता)।

झगड़े में आरोपित से सांठगांठ करने के मामले में कुल्लू पुलिस ने एक एएसआइ को गिरफ्तार किया है। उसे सोमवार को अदालत में पेश किया गया। जहां से उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुये कुल्लू के एसपी गौरव सिंह ने बताया कि इसी साल फरवरी माह में कुल्लू सदर थाने में दो लोगों के आपसी झगड़े का मामला दर्ज हुआ था। जिसकी जांच का जिम्मा एक एएसआइ को सौंपा गया था। उन्होंने बताया कि मामले की समीक्षा करने पर पाया गया कि मामले के आरोपित से जांच अधिकारी ने आपसी सांठगांठ कर-के केस को प्रभावित करने की कोशिश की। जांच अधिकारी एएसआइ के खिलाफ कार्रवाई करते हुये उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि झगड़े के आरोपी के खिलाफ चार्जशीट बना कर पहले ही अदालत में भेज दी है।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, HIMACHAL PRADESH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

Division Sansarpur Terrace Distt. Kangra (H.P.)-176501
Tel. & Fax No. 01970-256438 e-mail:- hpsidcdshala@gmail.com

NOTICE INVITING TENDERS

Sealed item rate tenders on prescribed form 6/8 for under mentioned works are herby invited in separate envelop for each from contractors having current enlistment in the appropriate class with HPPWD (B&R),CPWD,I&PH ,H.P. Housing Board & having licence from Chief Electrical Inspector for E.I. works & enlistment with HPPWD electrical, so as to reach in this Office of under signed on or before 25.07.2020 upto 12:00 P.M. and will be opened on same day at 12:30 P.M. by undersigned in the presence of the intending contractors or their authorized representative who may like to be present at the time of opening of tender. The rates should be quoted both in words and figures. If it happen to be holiday on the day of opening of tender the same will be opened on next working day on the same time.

The application for obtaining the tender forms will be received upto 24.07.2020 upto 5.00.P.M. against cash payment (Non refundable) and tender form can be had from this office on 24.07.2020 during office hours. The Tender Forms can be had on production of Sale Tax ,GST Registration & Income Tax clearance certificate and detail of works executed / under execution of similar type of works.The application should be accompanied with the requisite earnest money in the shape of bank draft only in the favour of Executive Engineer, HPSIDC Ltd. Division Sansarpur Terrace Distt. Kangra (H.P.). The application not accompanied by the earnest money shall not be considered. The earnest money deposited by the un-successful bidder will be released without interest by cheque only. **The successful contractor shall have to fulfil the requirement of RPFC and Labour Act and shall produce valid EPF Code No. before submission of 1st Running Bill the contractor shall submit original copy of EPF dues from the date of start of work, the date of such bill dully stamped / receipt of the bank. The attested copies of wages register of work force employed / wages paid during above period shall be furnished by the contractor with bill. You should register yourself with local Labour Office before start of work. The payment shall be released only after submission of above documents to the satisfaction of HPSIDC.** The drawings and specification can be seen in the office of undersigned on any working day from 11:00 A.M. to 4:00 P.M. Only C&D class registered contractors are eligible to participate in tenders and one participant can compete for one work / bid only. The undersigned reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reason.

Sr. No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money By D/D	Period for Completion	Cost of Tender Form (By cash)	Eligibility of class
1)	Restoration of rain damages at Ind. Area Sansarpur Terrace Distt. Kangra (H.P).	3,32,600	6,650/-	3 Month.	400/-+72GST 18%=472/-	C &D
2)	Re-moulding of sewerage system of phase-III part B and C at Ind. Growth Centre Distt. Kangra (H.P).SH:-Providing interlocking pavers in phase in phase-III road part C	3,95,800/-	7,900/-	3 Month.	400/-+72GST 18%=472/-	C &D

Executive Engineer HPSIDC, Ltd.
Division S/pur Terrace Distt. Kangra (H.P.)

ब्रूक्स लैबोरेटरीज़ लिमिटेड

Brooks Laboratories Limited — An EU-GMP approved carbapenem facility
CIN: L24232HP2002PLC000267
पंजीकृत कार्यालयः गांव किशनपुरा, नालागढ़ रोड, जिला सोलन, बद्दी (हि.प्र.)-174101, टेली फैक्स नं.: +91 1795 236939,
इ-मेलः investors@brookslabs.net, वेबसाइटः www.brookslabs.net

सूचना

सेबी (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुवर्ती एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही/वर्ष के लिए कम्पनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर परस्पर विचार और अनुमोदन के लिए कम्पनी के निदेशकों के बोर्ड की बैठक मंगलवार, 21 जुलाई, 2020 को आयोजित होना अधिसूचित है।

सेबी (अंतरंगी व्यापार का निषेध) विनियमों, 2015 के अधीन ट्रेडिंग विंडो 31 मार्च, 2020 से 23 जुलाई, 2020 तक अर्थात 21 जुलाई, 2020 को परिणामों के सार्वजनिक होने के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगी।

सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.brookslabs.net तथा शेयर बाजार की वेबसाइट www.bseindia.com व www.nseindia.com जहां कम्पनी के शेयर्स सूचीबद्ध है, पर भी उपलब्ध है।

कृते ब्रूक्स लैबोरेटरीज़ लिमिटेड
ह./- ज्योति संचेती
(कंपनी सचिव)
सदस्यता संख्याः F9639

स्थानः मुम्बई
दिनांकः 13.07.2020

प्रदेश में 21 सितंबर से होंगी विभिन्न श्रेणियों की विभागीय परीक्षा

सरकार ने की अधिसूचना जारी

शिमला, 13 जुलाई (जनसत्ता)।

प्रदेश सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों की विभागीय परीक्षा 21 से 29 सितंबर 2020 तक आयोजित करने का फैसला लिया है। इस बावत आज सोमवार को सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी।

ये जानकारी देते हुए प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि केवल पहले पेपर वित्तीय प्रशासन में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए बोर्ड राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी और राजकीय महाविद्यालय संजौली शिमला में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अन्य सभी विषयों की परीक्षा राजकीय महाविद्यालय संजौली शिमला में आयोजित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जो अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित होना चाहते हैं, वे अपने दो सत्यापित पासपोर्ट आकार की नवीनतम तस्वीरों के साथ अपने आवेदन पत्र सम्बन्धित विभागाध्यक्ष या सक्षम प्राधिकारी के जरिए 10 अगस्त से 10 सितम्बर तक सचिव विभागीय परीक्षा बोर्ड तक पहुंचा दे। प्रवक्ता ने कहा कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि अग्रिम आवेदन पत्र और उचित माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र में लगाई गई फोटो एक समान हो। यदि किसी अभ्यर्थी का प्रपत्र अधूरा पाया जाता है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा।